न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 84/2020
GCMSNo.- : 2020/00213

बनाम

–: वादीगण :–

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
3. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर, जिला अजेमर।
4. माणकचन्द पुत्र पोकरराम, जाति मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर।
5. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

–: प्रतिवादीगण :–

1. दुर्गा पुत्र गेना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
2. छोटू पुत्र धन्ना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
3. हंजा पत्नी धन्ना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
4. पूसा पुत्र भगवान जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
5. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/10/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

दिनॉकः– 24/06/2021

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला [illegible] खसरा नम्बर 1895 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की [illegible] है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 3/4 हिस्से यानि 7 बीघा 04 बिस्वा [illegible] भूमि पर काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैमगर वादीगणव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे हैं। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगणकी खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 3/4 हिस्से यानि 7 बीघा 04 बिस्वा 00 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीका अलग सें कब्जा व काश्त है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् केतकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद तकास्मा आराजी वादीगणअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदिप्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद [illegible] पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध क[illegible] नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.08.2020 को वा[illegible] के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का [illegible] किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 05 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072–2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1895 में वादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1895 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1175 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1258 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव- मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1895 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया, कौम– रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि0 1/3, महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर कौम– कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर हि0 5/18,शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल कौम– भाम्बी, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर, जिला अजेमर हि0 2/9, माणकचन्द पुत्र पोकरराम कौम– मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर हि0 1/6 खातेदार।	1895	07–04	बारानी दोयम	01.80
2	दुर्गाराम पुत्र गेनाराम हि0 1/6, छोटू पुत्र धन्ना हि0 1/6, हंजा पत्नी धन्ना हि0 1/6, पुसा पुत्र भगवान हि0 1/2, कौम– भाम्बी सा0 देह खातेदार।	1895	02–08	बारानी दोयम	0.60

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।
3. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर, जिला अजेमर।
4. माणकचन्द पुत्र पोकरराम, जाति मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर।
5. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. दुर्गा पुत्र गेना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
2. छोटू पुत्र धन्ना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
3. हंजा पत्नी धन्ना जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
4. पूसा पुत्र भगवान जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
5. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 84/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1895 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्र[illegible] के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	बीघा बिस्वा	किस्म	लगाान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया, कौम– रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के	1895	07–04	बारानी दोयम	01.80

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि0 1/3, महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर कौम- कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर हि0 5/18, शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल कौम- भाम्बी, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर, जिला अजेमर हि0 2/9, माणकचन्द पुत्र पोकरराम कौम- मेघवाल, निवासी 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर हि0 1/6 खातेदार।				
2	दुर्गाराम पुत्र गेनाराम हि0 1/6, छोटू पुत्र धन्ना हि0 1/6, हंजा पत्नी धन्ना हि0 1/6, पुसा पुत्र भगवान हि0 1/2, कौम- भाम्बी सा0 देह खातेदार।	1895	02-08	बारानी दोयम	0.60

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर ... पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:-	06-00	मिजान:-	-/-/-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो मुकीदेन को जो के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:24 IST
Reason: SelfAttested